निक्षेपित विक्षेपित

(156)

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय अशोकनगर

प्र.क्रं. / निगरानी / 15–16

निग-2493-II/15

श्री ... चौहान ... द्वारा आज दि 31-7-15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सिन्नू पुत्र रतना आदिवासी
निवासी पिपरिया तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0
निगरानीकर्ता

वनाम

1. धनुआ पुत्र मनका जाति आदिवासी निवासी पिपरिया तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रतिनिगरानीकर्ता
2. जग्गू पुत्र मनका
3. जवसंत पुत्र अनरत
4. वंशी पुत्र खुशला
5. सोमा पुत्र ऊधम
6. रामचरण पुत्र खूबा

समस्त जाति आदिवासी समस्त निवासी
पिपरिया तह.ईसागढ़ जिला अशोकनगर
औपचारिक पार्टी

निगरानी

निगरानी अधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

निगरानी विरूद्व आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय के प्र.क्रं. 33अ / 2 / 14–15 दिनांक 18.06.15 के विरूद्व ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

1. यहकि भूमि स्थित ग्राम पिपरिया के सर्वे नंबर 86 / 1 मिन रकवा 1.045 रकवा 0.449 है0 स्थित जो भूमि का सीमांकन किया वह निरस्ती योग्य है ।
2. यहकि उपरोक्त भूमि से लगी निगरानीकर्ता की भूमि सर्वे नंबर 88 / 1ख रकवा 1.175 है0 से लगी है एवं 86 / 3 मिन. रकवा 1.045 है. पर घूमके लगी है उपरोक्त सीमांकन के समय मेड़ियां को नही बुलाया । मेड़ियों के पीठ पीछे सीमांकन् किया है जो नियम विरूद्व होने से निरस्ती योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 2423–दो/2015 जिला–अशोकनगर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 एस0 चौहान उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 33/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.06.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय आधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **<u>अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर</u>**	